



निगरानी प्र. क्रमांक— / 2014

प्रस्तुत दिनांक 24/07/2014

न्यायालय—माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय,
ग्वालियर (म.प्र.) वृत्त इन्दौर के समक्ष

R-2817-03/14

मांगीलाल पिता अवध नारायण कायस्थ

आयु—45 वर्ष, धंधा—कृषि,

निवासी— ग्राम बिड़वाल तहसील बदनावर

जिला धार (म.प्र.)

श्री सुभाष परेल
प्रार्थी/अनावेदक द्वारा दिनांक 24.7.2014
को प्रस्तुत

459/24.7.2014

श्री
दवायत

.....आवेदक / प्रार्थी

विरुद्ध

जगदीश पिता नंदराम जाति सिर्वी

आयु—वयस्क, व्यवसाय—खेती

निवासी—ग्राम बिड़वाल तहसील बदनावर

जिला धार (म.प्र.)

.....अनावेदक / प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

आवेदक/प्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है कि —

यह निगरानी माननीय अधीनस्थ न्यायालय, राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2 कानवन तहसील जिला धार के आदेश पर कार्यालय कलेक्टर, भू—अभिलेख, शाखा धार जिला धार के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक—3/अ—12/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2014 के परिपालन में अधीक्षक, भू—अभिलेख, शाखा जिला धार के द्वारा दिनांक 13.06.2014 को किए गए असत्य, आलोच्यपूर्ण सीमाकंन से व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

कायस्थ कायस्थ
2817-03/14
को 24/07/2014
को प्रस्तुत

25-8-14

भोगीलाल) जगदीश

R-2817 @ 28114

का

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा. का आदि के ह. कर
21/8/14	<p>आवेदक अभिभाषक सूचना उपरोक्त अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगवायी गयी। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम घंटी में रजिस्ट्रि किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">h अध्यक्ष</p>	